


राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एम-1019/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री मोहम्मद आरिफ रिजवी, नर्स श्रेणी-द्वितीय महात्मा गाँधी चिकित्सालय, जोधपुर को हज यात्रा 2019 हेतु दिनांक 25.07.2019 से दिनांक 19.09.2019 (57 दिवस) तक की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -


1. उक्त कार्मिक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की एफ.आई.आर./विभागीय जाच आदि मे वर्तमान मे विचाराधीन/लम्बित/प्रस्तावित नहीं हो ।
2. उक्त कार्मिक यात्रा अवधि समाप्त होने के उपरांत अविलम्ब ये अपने मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे ।
3. उक्त अवधि के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार्य नहीं होगी ।
4. कार्मिक द्वारा इस हेतु प्रस्तुत बंधक पत्र में उल्लेखित शर्तों का उलघनन नहीं किया जावेगा ।
5. राष्ट्र विरोधी गतिविधि मे सम्मिलित नहीं होंगे ।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर

क्रमांक- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एम-1019/19/652 दिनांक:- 24/07/19  
प्रतिलिपि रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 4650 दिनांक 23.07.2019 के क्रम में ।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-जोधपुर ।
6. अधीक्षक महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 8186 दिनांक 29.06.2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का अवकाश स्वीकृत करने के पश्चात कार्यमुक्त किया जावे ।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर